भारत सरकार

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *79

दिनांक 01 मार्च, 2016 को उत्तर देने के लिए

राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण अभियान

*79. श्री रोड़मल नागर:

श्री दुष्यंत चौटालाः

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण अभियान नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या देश में खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना हेतु इच्छुक लघु तथा मध्यम उद्यमियों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितने उद्यमियों को सहायता प्रदान की गई तथा कितनी खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई; और

(ड.) क्या राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन धनराशि के अपर्याप्त प्रवाह तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कौशल विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं देने के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अभियान के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री

(हरसिमरत कौर बादल)

(क) से (ड.) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

<u>राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण अभियान के बारे में दिनांक 01.03.2016 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *79 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।</u>

(क) जी हां, महोदया । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान 01.04.2012 से केंद्र प्रायोजित स्कीम- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से शुरू किया था ।

परंतु 28.02.2015 को प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट (2015-16) में भारत सरकार ने इस स्कीम को 01.04.2015 से भारत सरकार की सहायता से अलग करने की घोषणा की थी । राज्य सरकारों को 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अपने बढ़े हुए संसाधनों से सीएसएस-एनएमएफपी को जारी रखने अथवा जारी न रखने का विकल्प है । फिर भी भारत सरकार स्कीम के कार्यान्वयन हेतु संघ राज्य क्षेत्रों (यूटीज) को वित्तीय सहायता दे रही है ।

(ख) स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थीं:-

I. सीएसएस- एनएमएफपी को 75:25 (भारत सरकार: राज्य), 90:10 (भारत सरकार: पूर्वोत्तर राज्य) के वित्त पोषण पैटर्न के साथ कार्यान्वित किया गया था ।

II. सभी संघ राज्य क्षेत्रों (यूटीज) को भारत सरकार द्वारा 100% अनुदान के आधार पर वित्त उपलब्ध कराया गया ।

III. मिशन के अंतर्गत सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को आवेदन प्राप्त करने, पात्र लाभार्थियों को अनुदान सहायता की स्वीकृति देने और जारी करने का अधिकार दिया गया था ।

IV. राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) सीएसएस-एनएमएफपी परियोजना के चयन, प्रशासन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार थी ।

V. सीएसएस-एनएमएफपी के अंतर्गत स्कीमें थीं- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम, गैर-बागवानी उत्पाद कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कीम, मानव संसाधन विकास (एचआरडी) स्कीम जिसके (क) खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम चलाने के लिए अवसंरचना सुविधाओं का सृजन (ख) उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी), (ग) खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र (एफपीटीसी) और (घ) मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रशिक्षण तथा संवेदनशीलता सह जागरुकता कार्यक्रम; प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीम, ग्रामीण क्षेत्र

प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र/एकत्रण केंद्र सृजन स्कीम और मांस की दुकानों के आधुनिकीकरण के लिए स्कीम व रीफर वाहन स्कीम उपघटक थे ।

(ग) जी हां, महोदया । सीएसएस- एनएमएफपी के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम का मूल उद्देश्य छोटे और मझोले उद्यमियों सहित उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना था ।

(घ) सीएसएस- एनएमएफपी की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/ आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत सीएसएस स्कीम के रूप में इसकी प्रचालन अवधि अर्थात वर्ष 2012-15 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के लिए सहायता प्राप्त करने वाली परियोजनाओं को दर्शाने वाला वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण **संलग्नक** में दिया गया है । स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/उन्नयन/आधुनिकीकरण में लगे सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/संयुक्त उद्यम/गैस-सरकारी संगठन/सहकारी समितियां/स्व-सहायता समूह/निजी क्षेत्र/व्यक्ति स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता के पात्र थे ।

(ड.) सीएसएस-एनएमएफपी 12वीं योजना में शुरू की गई थी और राज्यों को खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों से पर्याप्त प्रतिक्रिया मिलनी शुरू हो गई थी । इसकी कार्यान्वयन अवधि अर्थात 2012 से 2015 के दौरान भारत सरकार का 339.72 करोड़ रुपए का हिस्सा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया गया था । इसमें से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 17.49 करोड़ रुपए मानव संसाधन विकास स्कीम के अंतर्गत कौशल विकास हेतु जारी किए गए थे । 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को निधियों के बढ़े हुए अंतरण को ध्यान में रखते हुए सीएसएस- एनएमएफपी को इसके प्रारंभ से 3 वर्षों के पश्चात ही भारत सरकार की सहायता से अलग कर दिया गया था । सीएसएस-एनएमएफपी के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों को अपने बढ़े हुए राज्य संसाधनों से इन्हें जारी रखने के बारे में निर्णय लेने की सलाह दी गई है ।

*****

संलग्नक

राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण अभियान के बारे में दिनांक 01.03.2016 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *79 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

सीएसएस-एनएमएफपी की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/ स्थापना/ आधुनिकीकरण स्कीम के सीएसएस स्कीम के रूप में इसकी प्रचालन अवधि के दौरान अर्थात (2012-15) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के लिए सहायता प्राप्त करने वाली परियोजनाओं को दर्शाने वाला वर्ष-वार/राज्य-वार विवरण ।

(करोड़ रुपए)

		2012-13			**2013-14**			**2014-15**		
क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**स्वीकृत परियोजनाओं की सं.**	**स्वीकृत की गई राशि**	**जारी की गई राशि**	**स्वीकृत परियोजनाओं की सं.**	**स्वीकृत की गई राशि**	**जारी की गई राशि**	**स्वीकृत परियोजनाओं की सं.**	**स्वीकृत की गई राशि**	**जारी की गई राशि**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	0.61	0.61	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	6	2.38	2.38	0	0	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	7	1.51	1.51	3	1.00	0.81	0	0	0
4	असम	8	2.61	1.76	19	1.56	0.57	4	0.25	0
5	बिहार	3	0.58	0.13	0	0	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	2	1.00	0.75	0	0	0	9	3.50	2.25
8	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	गुजरात	51	18.56	14.09	23	8.94	3.58	1	0.50	0
13	हरियाणा	9	3.87	3.72	4	1.78	1.78	9	4.14	3.05
14	हिमाचल प्रदेश	5	1.35	0.85	12	4.59	3.26	4	1.35	0.62
15	जम्मू और कश्मीर	10	4.54	3.68	4	1.71	0.84	8	3.10	0.60
16	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	कर्नाटक	36	13.92	13.80	14	4.71	4.47	14	4.48	2.24
18	केरल	7	2.59	2.52	14	5.88	4.82	2	1.00	0.38

		2012-13			2013-14			2014-15		
क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**स्वीकृत परियोजनाओं की सं.**	**स्वीकृत की गई राशि**	**जारी की गई राशि**	**स्वीकृत परियोजनाओं की सं.**	**स्वीकृत की गई राशि**	**जारी की गई राशि**	**स्वीकृत परियोजनाओं की सं.**	**स्वीकृत की गई राशि**	**जारी की गई राशि**
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	20	6.26	5.83	23	8.56	7.96	0	0	0
21	महाराष्ट्र	58	19.75	17.89	27	8.29	4.14	4	1.07	0.54
22	मणिपुर	37	2.08	1.11	0	0	0	0	0	0
23	मेघालय	3	0.35	0.35	9	2.24	0.52	1	0.30	0.15
24	मिजोरम	2	0.35	0.35	2	0.40	0.15	7	1.16	0.69
25	नागालैंड	7	0.89	0.89	0	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	11	4.50	4.35	12	4.64	4.26	9	2.33	1.83
27	पुदुचेरी	3	1.41	1.41	0	0	0	0	0	0
28	पंजाब	3	1.27	0.99	5	0.89	0.56	1	0.50	0.50
29	राजस्थान	9	3.23	2.73	39	14.17	14.17	31	11.91	11.91
30	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	1	1.00	0.20
31	तमिलनाडु	5	1.75	0.87	0	0	0	0	0	0
32	तेलंगाना	3	1.00	0.25	0	0	0	0	0	0
33	त्रिपुरा	1	0.75	0.75	1	0.99	0.99	1	1.00	0.50
34	उत्तर प्रदेश	39	15.13	12.71	7	0.61	0	0	0	0
35	उत्तराखंड	4	1.35	0.12	1	0.75	0.75	0	0	0
36	पश्चिम बंगाल	10	3.95	3.95	36	16.26	12.71	21	9.57	2.48
	कुलः	**362**	**117.54**	**100.35**	**255**	**87.97**	**66.34**	**127**	**47.16**	**27.94**

(**स्रोतः** एनएमएफपी मिशन पोर्टल में राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा दर्ज किए गए आंकड़े)